

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, इंडिया प्रॉपर्टी, रॉची।

दिनांक-22वीं नवम्बर 2021

सेवा में,

**Mr Madhavan Varadarajan,**  
**AXLES INDIA LIMITED,**  
**Singaperumal Koil Road Sriperumbudur Kanchipuram,**  
**District Tamil Nadu.**

**विषय:-** मौजा—Murgaghutu, प्लॉट नं०—55(P), 70(P), 76(P), 77(P), 78(P), 79(P), 80(P), 81(P), 82(P), 83(P), 84(P), 88(P), 55/138(P), 76/139(P), खाता नं०—7, 11, वार्ड नं०—00, थाना—Ghatsila (91), जिला—पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित Axles India Limited फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन—लाईन भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार संबंधित प्रस्तावित फैक्ट्री भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, बहरागोड़ा से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक—250 दिनांक—12.10.2021 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित Axles India Limited फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. प्रस्तावित फैक्ट्री भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउण्ड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ—आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फैक्ट्री भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 150mm डायावाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक—एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय।
4. प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो—दो अदद डिलिवरी होज एवं दो—दो अदद ब्रांच सहित एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. फैक्ट्री भवन के ऑफिस को स्मोक डिटेक्टर विथ अलर्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 2280 Lpm क्षमता का एक इलेक्ट्रिक पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. 180 Lpm क्षमता का जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
9. फैक्ट्री भवन के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
10. फैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
11. फैक्ट्री भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 4.5 Kg क्षमता वाले एक—एक अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. फैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
13. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के०जी० क्षमता के 01-01 अदद सी०ओ०टू० तथा 06 के०जी० क्षमता के 01-01 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. फैक्ट्री भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।

15. फैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
16. यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में फैक्ट्री भवन ट्रेवल डिस्टेंस मानक से अधिक न हो।
17. फैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व फैक्ट्री भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
18. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
19. फैक्ट्री भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
20. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।